


वस्तु बंद पत्रावली दिनांक 08/01/2021 को
पेश हो।

08-01-2021 पत्रावली पेश हुई। वस्तुलाप उभयपक्ष उपस्थित।
प्रकरण में बंद वस्तुलाप उभयपक्ष सुनी गयी।
परवस्तु बंद वस्तुलाप उभयपक्ष ने निवेदन किया
कि प्रकरण में विवादित पत्रकारों के मध्य शरीनामा
हो चुका है। अतः मुताबिक शरीनामा दवा डिफ्री
फरमाया जावे।



पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राधान
सिंह तथा शरीनामा का अवलोकन किया गया।
जिसमें कि एवं मुख्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत शपथ-पत्र
PW, ता PWY का भी अवलोकन किया गया।
जिसमें कि विवादित पत्रकारों द्वारा शरीनामा पेश किया
जा चुका है जिसमें न्यायालय द्वारा तस्वीर
भी किया जा चुका है अतः वाद, वादी मुताबिक
शरीनामा दिनांकित 22-12-2020 स्वीकार किया
जाकर डिफ्री किया जाता है। शरीनामा दिनांकित
22-12-2020 डिफ्री का आग रहेगा। मुताबिक
शरीनामा दिनांकित 22-12-2020 राज्य सिद्धि
में अमल परामद हो। तदनुसार प्रकरण में पंच
डिफ्री जारी हो। पत्रावली फैल शुगर होकर नम्बर
से कम हो तथा बाद तकनील दाखिल दफ्तर हो।
थह निर्णय आज दिनांक 08-1-2021 को मेरे द्वारा
दस्तावेजित कर न्यायालयी मुद्दा सक्षि खुले न्यायालय में
कुनाया गया।

08/01/2021
(शरेश कुमार)

उपरवर्त अधिकारी
उपरवर्त अधिकारी
खण्डला (सीकर) खण्डला